न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम ग्राम पंचायत ज0रामगढ वगैरहा

अपील संख्या......02.../2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
9/7/21	यह वाद पत्र प्रार्थी की ओर से श्री महेश शर्मा नयावास एडवोकेट ने प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील अपीलांट को सुनकर पत्रावली का अवलोकन सहित अपील दर्ज रजिस्टर किया जावे। अपीलाधीन मूल नामांतरण तलब किया जावे। प्रस्तुत अपील पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र वकील अपीलांट/प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी अपीलांट के वंशानुगत पैतृक हक अधिकार निहित है, जो कि प्रार्थी की वंशानुगत पैतृक विरासती भूमि के रिकार्ड में परिवर्तन सहित हस्तांतरण कराते हुए रिकार्ड तथा मौके की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कराने हेतु रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण आमदा है। उपरोक्त कथनों सहित वकील प्रार्थी द्वारा एकतरफा अंतरिम बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को जरिये स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया गया। प्रकरण वंशानुगत पैतृक हक से संबंधित होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम स्थगन आदेश से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जमवारामगढ में अपीलाधीन नामांतरण में विवादित साबिक खसरा नं0 1351 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नं0 499 रकबा 1.86 हैक्टेयर में भूराराम पुत्र मेवाराम अनुसार अंकित हिस्सा 1/2 भाग की विवादित भूमि के वर्तमान बय अंतरण एवं मौके, रिकार्ड की यथास्थिति रखे एवं हस्तांतरण,निर्माण नहीं करावे। अपील दर्ज रजिस्टर होकर अपीलाधीन मूल नामांतरण तलब किया जावे एवं पारित आदेश की पालनार्थ तहरीर तहसीलदार एवं संबंधित थानाधिकारी को जारी हो तथा तलबी रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.08.2021 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
31/8/21	दि0 28 से 30 तक अवकाश होने से आज पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप0 पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 02/10/21 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक ________ को पेश हो।

Purushottam 2/10/21

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प [illegible]
में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/1/22 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

पक्षकार
[illegible]
एडवोकेट

6/1/22
पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब
दिनांक 10/02/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

10/2/22
पत्रावली पेश हुई। कोविड 19 होने के कारण पेश नहीं
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब
दिनांक 7/4/22 को पेश हो।

07/04/22
पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब बहस डाक द्वारा
दिनांक 11/07/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

11/7/22 पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी को बार-बार एक-एक कर तीन बार आवाजें लगवाई गई किन्तु अपीलार्थी वकील उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय व्यतीत होने को है। इसलिये अपीलार्थी की अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कागजात पूर्ण होकर नकल ले जाय हो। बाद मिलान दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर